

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी- श्री मूलचन्द लूणियां, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या - 33/2023

उनवान - विक्रमसिंह बनाम राज. सरकार


आदेश दिनांक- 21/07/2023

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी चरला व भूअ. नि. जीली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चरला तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में खाता संख्या 179 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या (नया)	वर्तमान (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	चरला	179	भंवरसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति दरोगा निवासी चरला खातेदार	करणीसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति दरोगा निवासी चरला खातेदार

राहिन की प्रविष्टि (अगर कोई हो तो) यथावत रहेगी।


उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)